भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार

एक विस्तृत अध्ययन (भाग III: अनुच्छेद 12 से 35)

प्रस्तुतकर्ता: दीपक कुमार

कक्षा: एम.ए. तृतीय सेमेस्टर

विभाग: राजनीति विज्ञान

महाविद्यालय: शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव

विषय-सूची

परिचय एवं इतिहास

- मौलिक अधिकार क्या हैं?
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- मुख्य विशेषताएं

अधिकार एवं निष्कर्ष

- छह मौलिक अधिकारों का विवरण
- संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32)
- महत्व और निष्कर्ष

परिचय: मौलिक अधिकार

- **परिभाषा:** वे मूलभूत अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अनिवार्य हैं।
- **स्रोत:** भारतीय संविधान का **भाग III** (अनुच्छेद 12 से 35)।
- इन्हें **'भारत का मैग्नाकार्टा'** (Magna Carta) कहा जाता है।
- ये **न्यायोचित** (Justiciable) हैं – उल्लंघन होने पर न्यायालय जाने का अधिकार है।

Constitution of India Cover

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विशेषताएं

इतिहास

सर्वप्रथम 1928 की नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों की मांग की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन **44वें संशोधन (1978)** द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को हटा दिया गया।

मुख्य विशेषताएं

- राज्य की कठोरता के खिलाफ सुरक्षा।
- कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं।
- ये स्थायी नहीं हैं; संसद इनमें संशोधन कर सकती है।
- आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं (अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर)।

छह मौलिक अधिकार

समता का अधिकार
अनुच्छेद 14-18

स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 19-22

शोषण के विरुद्ध
अनुच्छेद 23-24

धर्म की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 25-28

संस्कृति और शिक्षा
अनुच्छेद 29-30

संवैधानिक उपचार
अनुच्छेद 32

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

कानूनी समानता

अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण।

अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

सामाजिक समानता

अनुच्छेद 16: लोक नियोजन में अवसर की समानता।

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत।

अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)

अनुच्छेद 19 नागरिकों को **6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ** प्रदान करता है:

- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता।
- संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता।
- भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता।
- भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता।
- कोई भी वृत्ति या व्यापार करने की स्वतंत्रता।

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 20-22)

अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।

अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है।

अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा)।

अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

अनुच्छेद 23

मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध:

यह किसी भी व्यक्ति की खरीद-फरोख्त, बेगार (बिना वेतन के काम) और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है।

अनुच्छेद 24

बाल श्रम का निषेध:

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है।

4. धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28)

- **अनुच्छेद 25:** किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 26:** धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 27:** किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए कर (Tax) देने की बाध्यता नहीं।
- **अनुच्छेद 28:** सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध।

Religious Harmony Symbols

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के हित)

भारत के किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। किसी को भी राज्य द्वारा पोषित संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा।

अनुच्छेद 30 (संस्थानों की स्थापना)

धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

इसे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने **"संविधान की आत्मा और हृदय"** कहा है। इसके तहत न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
2. परमादेश (Mandamus)
3. प्रतिषेध (Prohibition)
4. उत्प्रेषण (Certiorari)
5. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

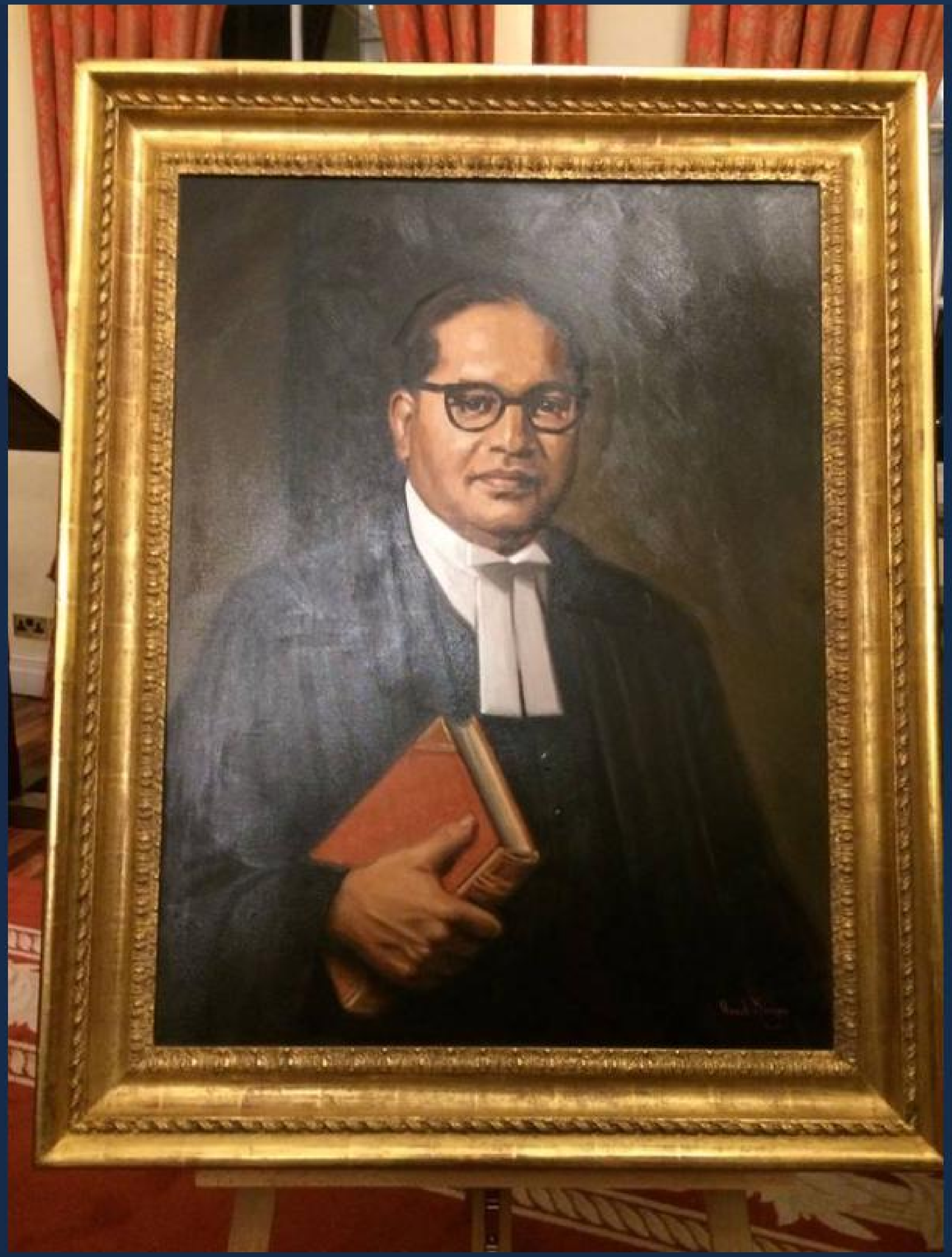

अपवाद और सीमाएं

आपातकाल

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 352), राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं।

सैन्य बल और कानून

अनुच्छेद 33: संसद सैन्य बलों के अधिकारों को सीमित कर सकती है।

अनुच्छेद 34: जहां मार्शल लॉ लागू हो, वहां मूल अधिकार प्रतिबंधित हो सकते हैं।

मौलिक अधिकारों का महत्व

- **लोकतंत्र का आधार:** ये नागरिकों को राज्य की निरंकुशता से बचाते हैं।
- **सर्वांगीण विकास:** व्यक्ति के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक।
- **कानून का शासन:** ये सुनिश्चित करते हैं कि देश में कानून सर्वोपरि है।
- **समानता:** समाज में ऊंच-नीच और भेदभाव को समाप्त करते हैं।
- **धर्मनिरपेक्षता:** सभी धर्मों के समान सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

धन्यवाद

मौलिक अधिकार एक सशक्त और जागरूक नागरिक का निर्माण करते हैं।

कोई प्रश्न?

Image Sources

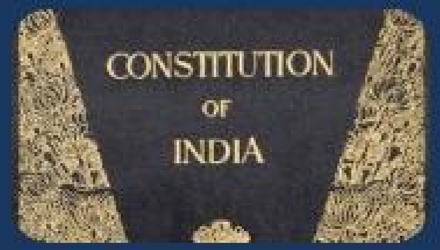

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Constitution_of_India_%28calligraphic%29_Cover.png/500px-Constitution_of_India_%28calligraphic%29_Cover.png

Source: commons.wikimedia.org

https://www.cry.org/wp-content/uploads/child-education-world-ngo-day-1.jpg

Source: www.cry.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Extrait_de_Communal_Harmony_de_Manimala_Chitrakar_%28Naya_Bengale%29_%281438844597%29.jpg

Source: en.wikipedia.org

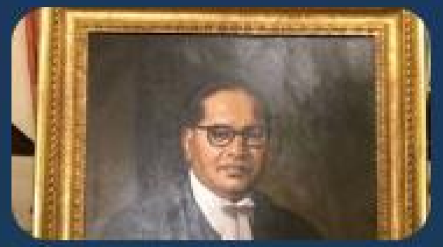

https://drambedkarbooks.com/wp-content/uploads/2016/12/15337638_1017993795013936_5157836870195485920_n.jpg

Source: drambedkarbooks.com

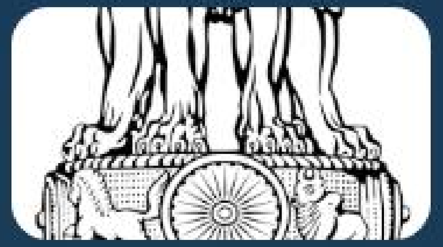

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Emblem_of_India.svg

Source: en.wikipedia.org